

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:—28.12.2022

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8943/2022 अर्चना शेखावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को आदेश दिनांक 02.11.2022 के द्वारा खारिज किया गया है।

उक्त याचिका को खारिज किये जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा **संस्कृत शिक्षा विभाग** हेतु आयोजित **प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा-2021** के अन्तर्गत मुख्य सूची में सफल घोषित अभ्यर्थी के अपात्र पाये जाने के कारण रिक्त हुए 01 पद के विरुद्ध आरक्षित सूची से **अभ्यर्थी रोल नम्बर-112364** को मुख्य सूची में **मेरिट क्रमांक 68-A (चयन वर्ग-EWSF)** पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

नोट:—

परिणाम की शेष शर्तें पूर्वानुसार रहेगी।

(एच. एल. अटल)
सचिव